रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 99 / 2025 **संतोष बनाम तहसीलदार** **प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.2025	**पत्रावली** वास्ते आदेश पेश हुई। दौराने बहस वकील प्रार्थिया ने **प्रार्थना पत्र में अंकित** तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम लालपुर **पटवार हल्का** लालपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 686, 764, 775, 88, 913, 920 कुल किता 6 का कुल रकबा 8.11 है0 भूमि अवस्थित है। आवेदिका उक्त भूमि की रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है। राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम धनकोरी पुत्री भगवानदास गलत दर्ज हो गया जबकि उसका वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजों में संतोष पत्नी माईराम है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाये। वकील **प्रार्थिया** को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। **पत्रावली पर** उपलब्ध दस्तावेजात व सहखातेदारों के शपथ पत्र आदि का **ध्यान पूर्वक** अवलोकन किया गया। समस्त दस्तावेजों से प्रार्थिया का नाम **संतोष पत्नी** माईराम साबित होता है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली **प्रार्थना पत्र** प्राथिया न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम लालपुर पटवार हल्का लालपुर तहसील व जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 686, 764, 775, 88, 913, 920 **कुल** किता 6 का कुल रकबा 8.11 है0 कृषि भूमि में प्रार्थिया का नाम **धनकोरी** पुत्री भगवानदास की बजाय संतोष पत्नी माईराम **दुरूस्त** किये **जाने** के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। **आदेश** की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल **शुमार हो** दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं	